भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1523

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

1523. श्री राजू बिष्ट:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दार्जिलिंग पहाड़ियां, तराई और दुआर तथा तीस्ता-रंगीत जलग्रहण क्षेत्र ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अंतर्गत आते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा अक्टूबर, 2023 की तीस्ता बाढ़ के प्रभावों की जांच और अध्ययन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) तीस्ता नदी बेसिन के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा शुरू किए गए बाढ़ रोकथाम अथवा प्रबंधन उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): जी हां, ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में सिक्किम सहित सभी पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा (कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिले) आता है।

(ख): अक्टूबर 2023 की बाढ़ के मद्देनजर सिक्किम में तीस्ता नदी में रूपात्मक परिवर्तनों पर अध्ययन करने, नुकसान की मात्रा का आकलन करने और उपचारात्मक उपायों, संसाधनों और विशेषज्ञ सिफारिश के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए डीओडब्ल्यूआर, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की गई है।

उपरोक्त के अलावा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के राष्ट्रीय जीएलओएफ (ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़) जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम, एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य ग्लेशियल झील विस्फोट से आने वाले बाढ़ से जुड़े जोखिमों को कम करना है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अतिसंवेदनशील हैं। इस समय, गृह मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा राष्ट्रीय जीएलओएफ जोखिम शमन कार्यक्रम के अंतर्गत

चार राज्यों अर्थात हिमाचल प्रदेश (35 करोड़ रुपये), उत्तराखंड (30 करोड़ रुपये), सिक्किम (40 करोड़ रुपये) और अरुणाचल प्रदेश (45 करोड़ रुपये) में जीएलओएफ के जोखिम को कम करने के लिए 150 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है।

(ग): वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तीस्ता नदी बेसिन के लिए बाढ़ शमन/प्रबंधन के लिए निम्नलिखित दो उपाय किए गए हैं।

(i) बाढ़ और कटाव प्रबंधन, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जलग्रहण क्षेत्र उपचार सहित क्षेत्र में जल संसाधनों के सतत विकास और उपयोग के लिए तीस्ता नदी उप-बेसिन के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करना।

(ii) पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में भोटबारी तटबंध से ओरान बीएसएफ कैंप तक तीस्ता नदी के बाएं किनारे पर सुरक्षा कार्य में सुधार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना।

*****